मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर–1 गोमतीनगर विस्तार फेज–2 लखनऊ
(फैक्स नम्बर–0522–2724030)

पत्र संख्या : लाजि0–एम0टी0– निर्देश /2024 दिनांकः लखनऊःफरवरी 07 , 2024

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग।

विषयः हल्के एवं भारी वाहन के ड्राइविंग लाइसेन्स धारक आरक्षी नागरिक पुलिस व आरक्षी सशस्त्र पुलिस से वाहन चालन का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि आरक्षी चालकों की अत्यधिक कमी के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या–दस–400– 2014 (प्रशिक्षण) दिनांक 28.11.2014 के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि वाहनों के संचालन के लिए ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस तथा आरक्षी सशस्त्र पुलिस को चिन्हित कर लिया जाय जो भारी एवं हल्के वाहन के ड्राइविंग लाइसेसन्स धारक है और ऐसा ड्राइविंग लाइसेन्स कम से कम एक वर्ष पहले जारी किया गया है। यह नितान्त अस्थायी व्यवस्था होगी जिसके लिये किसी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियमित चयन से प्रशिक्षित चालक उपलब्ध होने पर ऐसे कर्मियों को वाहन चलाने की डियुटी से मुक्त कर दिया जयेगा, जो पूर्व की भॉति अपनी ड्युटी करेंगे।

2– उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में उ0प्र0 पुलिस बल में आरक्षी चालक के स्वीकृत नियतन 13126 पदों के सापेक्ष मात्र 4472 आरक्षी चालक नियुक्त है तथा 8654 आरक्षी चालकों की रिक्ति विद्यमान है, इस प्रकार वर्तमान में 66 प्रतिशत आरक्षी चालक के पद रिक्त है। आरक्षी चालक के पद पर भारी संख्या में रिक्ति विद्यमान होने के फलस्वरूप जनपदों में महत्वपूर्ण एवं आवश्यक डियुटिया प्रभावित होती है।

3– अतः उक्त संबंध में पुलिस मुख्यालय के उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देश के कम में नागरिक पुलिस एवं सशस्त्र पुलिस के जिन आरक्षियों के पास भारी एवं हल्के वाहन के ड्राइविंग लाइसेन्स हो, उनसे ड्राइविंग कार्य हेतु नामांकन प्राप्त कर वाहन चालन का कार्य लिया जाय।

4– उक्त चालन कार्य हेतु चयनित आरक्षी ना0पु0/स0पु0 को यदि आवश्यक समझे तो उन्हें पीएमटी सीतापुर में 15 दिवस का कैपसूल कोर्स कराकर प्रशिक्षित भी किया जा सकता है। इस हेतु चिन्हित किये गये आरक्षियों की सूची दिनांक 20.02.2024 तक लॉजिस्टिक्स कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7.2.24.
(राजकुमार)
अपर पुलिस महानिदेशक, लॉजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।